न्यायालय सहायक कलक्टर रियांबड़ी जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस
मुकदमा संख्या 167/2022

ाण :–
ातरसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत
नवासी सुदवाड़ तहसील रियांबड़ी जिला नागौर
र्थीगण :–
हसीलदार रियांबड़ी
टवारी हल्का सुदवाड़
क्ष्मणसिंह पुत्र प्रेमसिंह
ीरसिंह पुत्र प्रेमसिंह
ओंकारसिंह पुत्र हीरसिंह
कुशालसिंह पुत्र गणपतसिंह
गेरधरकंवर पत्नी गणपतसिंह
दौलतसिंह पुत्र हीरसिंहस
नरेन्द्रसिंह पुत्र गणपतसिंह
ो जातियान राजपूत निवासीगण सुदवाड़ तहसील रियांबड़ी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज.भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक :– 30/8/24

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि :–
–यह है कि मौजा सुदवाड़ की सरहद में खेत पुराने खसरा नंबर 83/1 रकबा 22 बीघा 05 बिस्वा ी भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 3 से 4 की संयुक्त खातेदारी का काश्त व कब्जासुद था। जमाबंदी संवत् 2053 से 2056 की प्रमाणित प्रति पेश है।
2–यह है कि पुराने खसरा नंबर 83 रकबा 14 बीघा की भूमि अप्रार्थीगण संख्या 5 से 9 की संयुक्त खातेदारी की काश्त व कब्जासुद था।
3–यह है कि अभी वर्तमान सेटलमेंट में खसरा नंबर 83/1 रकबा 22 बीघा 05 बिस्वा के नये खसरा नंबर 107 रकबा 3.6000 हैक्टर कायम किये गये। तथा खसरा नंबर 83 रकबा 14 बीघा के नये खसरा नंबर 106 रकबा 2.2700 हैक्टर कायम किये गये,मगर राजस्व नक्शा में खसरा नंबर 106 को खसरा नंबर 107 के स्थान पर दर्शित कर दिया गया तथा खसरा नंबर 107 को खसरा नंबर 106 के स्थान पर दर्शित कर दिया। जो मात्र एक लिपिकीय भूल है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। जमाबंदी संवत् 2073–76 तथा टेस नक्शा पुराना व नया मिलान क्षैत्रफल साथ में पेश है।
4–यह है कि प्रार्थी ने इस शुद्धि को दुरूसत करने बाबत अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को बार बार निवेदन करने पर इंकार हो गये जिससे प्रार्थी को उक्त रेकर्ड को दुरूस्त करवाने हेतू यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा सुदवाड़ के खसरा नंबर 107 व 106 को राजस्व नक्शा में सही स्थान पर दर्शित किया जावें।

प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार रियांबड़ी को जांच बाबत भिजवाया गया। तहसीलदार रियांबड़ी ने बाद जांच के प्रार्थना पत्र पेश किया गया।
जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 3 से 9 को जबाब बाबत तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 से 7 व 9 की ओर से वकील अर्जुनपुरी गौस्वामी ने वकालतनामा पेश किया गया। र्प्याप्त समय दिये जाने के बाद जबाब पेश नहीं किया, गया तत्पश्चात जबाब बंद किया गया।

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

तहसीलदार रियांबड़ी ने अपनी रिपोर्ट में बताया गया कि खसरा नंबर 106 व 107 संयुक्त तेदारी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 से 9 के नाम खातेदारी में दर्ज है। वादी के वाद के अनुसार सरा नंबर 106 के स्थान पर 107 तथा 107 के स्थान 106 गलत दर्शाया गया है। यह मौका व कार्ड देखने से भी गलत प्रतीत होते है। नक्शा सीट में खसरा नंबर 106 के स्थान पर खसरा नंबर 07 व खसरा नंबर 107 के स्थान पर 106 का अंकन किया जाना उचित है। मगर खसरा नंबर 106 107 का रकबा व खातेदार यथावत रहेगें। नक्शा सीट में खसरा नंबर 106 के स्थान पर 107 व 07 के स्थान 106 दर्शाया जाना वाजिब है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व कार्ड व तहसीलदार की जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। समस्त विवेचन से प्रार्थी का र्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि –

मौजा सुदवाड़ के खसरा नंबर 107 रकबा 3.6000 हैक्टर व खसरा नंबर 106 रकबा 2.2700 हैक्टर को नक्शा सीट में गलत दर्शित किया गया है उसे दुरूस्त किया जाकर खसरा नंबर 106 के सथान र 107 व खसरा नंबर 107 के स्थान पर 106 को नक्शा सीट में सही दर्शित किया जाकर राजस्व कार्ड को दुरूस्त किया जावें।''

तहसीलदार रियांबड़ी उपरोक्तानुसार रेकर्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किया जावें। खातेदार व रकबा यथावत रहेगें। तहसीलदार रियांबड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30/8/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेशकुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी